उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग – 6
संख्या 688/9–आ–6–2001–216यू0सी0/90/टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2001

अधिसूचना

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या–5 सन् 1999) द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरसित कर दिया गया है,

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में राज्य विधान मण्डल ने संकल्प द्वारा उक्त अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999 को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु अंगीकार कर लिया है,

चूंकि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित उक्त संकल्प के फलस्वरूप उक्त अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999, दिनांक 18 मार्च, 1999 को उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त हो चुका है , और चूंकि उक्त अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999 के उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त हो जाने के फलस्वरूप नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976, दिनांक 18 मार्च, 1999 से इस राज्य में प्रवृत्त नहीं है,

राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित संकल्प, जिसे विधान सभा द्वारा दिनांक 10.03.1999 एवं विधान परिषद द्वारा दिनांक 18.03.1999 को पारित किया गया, सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संकल्प

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं कतिपय अन्य प्रदेशों के विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर, भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 राज्य सूची की प्रविष्ट 18 के सम्बन्ध में संसद द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया था जो वर्तमान में इस प्रदेश में प्रवृत्त हैं,

और चूंकि यह पाया गया कि उक्त अधिनियम कुछ एक व्यक्तियों के ही हाथों में नगरीय भूमि के स्वामित्व के केन्द्रीयकरण तथा नगरीय भूमि के हस्तान्तरण में सट्टेबाजी अथवा मुनाफाखोरी रोकने एवं नगरीय भूमि के समाजीकरण द्वारा सामूहिक हित के लिये भूमि के समतापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने एवं अन्य अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रहा है जिसके फलस्वरूप मूलभूत नगरीय सुविधाओं के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा हैं।

और चूंकि यह सदन इस मत का है कि उक्त अधिनियम की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है और उसका निरसन आवश्यक हैं।

और चूंकि पंजाब और हरियाणा राज्यों में उक्त अधिनियम को निरसित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत उक्त राज्यों में विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में उक्त अधिनियम को उक्त राज्यों में तथा ऐसे अन्य राज्यों में, जहां के राज्य विधान मण्डल उक्त अधिनियम को निरसित करने हेतु संसद द्वारा बनाये गये निरसन अधिनियम को अंगीकार करें, निरसित करने के लिए विधेयक संसद में पुनः स्थापित किया गया है जो अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं हो सकता है।

अब चूंकि संसद के सत्र में न रहने के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (1) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1990 (सं0 5 सन् 1999) प्रख्यापित किया गया है।

और चूंकि उक्त अध्यादेश 5 सन् 1999 की धारा–1 की उपधारा (2) में यह उपबन्धित है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 उन राज्यों में भी प्रवृत्त हो सकेगा जिन राज्यों के विधान मण्डल भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत इस निमित्त संकल्प पारित कर उक्त अध्यादेश को अंगीकार करें,

और चूंकि इस सदन को वांछनीय प्रतीत होता है कि उक्त अध्यादेश को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाये।

अतः यह सदन भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा नगर भूमि (अधिकमि सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999) को, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय अध्यादेश है, अंगीकार करता है।

आज्ञा से

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 688(1)/9–आ–6–2001 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0 प्र0 उत्तर प्रदेश, जवाहरण भवन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
4. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ।
8. जिला शासकीय अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
9. शासन के समस्त अनुभाग।

आनन्द कुमार
अनु सचिव